झारखण्ड सरकार
सहकारिता विभाग

कार्यालय :– निबन्धक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची।

निबन्धन प्रमाण पत्र।

झारखण्ड को–ऑपरेटिव फेडरेशन लि0 के निबन्धन के सम्बन्ध में।

प्रमाणित किया जाता है कि झारखण्ड सहकारी समितियाँ अधिनियम–1935 (1935 के एक्ट–VI) के अन्तर्गत झारखण्ड को–ऑपरेटिव फेडरेशन लि0 का निबन्धन मेरे कार्यालय में सीमित दायित्व वाली सहकारी समिति के रूप में हुआ है। समिति की 4 (चार) उपविधियाँ भी निबंधित कर ली गई हैं।

1. समिति का नाम :– **झारखण्ड को–ऑपरेटिव फेडरेशन लि0।**
2. समिति की निबन्धन संख्या :– **27/2011 (मु0)**
3. समिति के निबन्धन की तिथि :– **27–12–2011**
4. समिति का कार्यक्षेत्र :– झारखण्ड को–ऑपरेटिव फेडरेशन लि0 का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य होगा।
5. समिति का कार्यालय पता :– झारखण्ड को–ऑपरेटिव फेडरेशन का निबंधित कार्यालय राँची में होगा।

निबन्धक,
सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची।

(12)

झारखण्ड को-ऑपरेटिव फेडरेशन लि0

की उप विधियाँ

निबंधन संख्या – 27/2011 (मु0)

झारखण्ड को–ऑपरेटिव फेडरेशन लि0, की उपविधियाँ

झारखण्ड सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1935 (एक्ट VI 1935 के अन्तर्गत निबंधित)

निबंधक
सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची

1. <u>नाम एवं पता</u>

(i) यह समिति झारखण्ड सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1935 (1935 के एक्ट VI) के अन्तर्गत निबंधित हुई है। इस समिति का नाम झारखण्ड को–ऑपरेटिव फेडरेशन लि0 होगा।

(ii) झारखण्ड को–ऑपरेटिव फेडरेशन लि0 का निबंधित कार्यालय राँची में होगा।

2. <u>कार्यक्षेत्र</u>

झारखण्ड को–ऑपरेटिव फेडरेशन लि0 का कार्य–क्षेत्र सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य होगा।

... अधिनियम के कार्यालय ... बिहार एण्ड उड़ीसा को ऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट (1935 का ऐक्ट) की धारा 11 ... निबंधित किए गए है।
राँची
दिनांक
27/12/11
निबंधक
सहयोग समितियाँ

3. <u>परिभाषा</u>

इन नियमों में जबतक किसी विषय या उसके सन्दर्भ में कोई असंगति नहीं हो :–

(i) 'अधिनियम' का अर्थ होगा – अद्यतन संशोधित झारखण्ड सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1935 (ऐक्ट 6–1935)।

(ii) 'नियमावली एवं नियम' का अर्थ होगा – झारखण्ड सहकारी समितियाँ नियमावली, 1959 एवं उसके नियम।

(iii) उपविधि का अर्थ होगा समिति की निबंधित उपविधियों तथा उपविधियाँ में समय–समय पर किए गए संशोधन।

(iv) फेडरेशन का अर्थ होगा – झारखण्ड को–ऑपरेटिव फेडरेशन लि0।

(v) सदस्य का अर्थ होगा – झारखण्ड को–ऑपरेटिव फेडरेशन लि0 का एक सदस्य।

(vi) अध्यक्ष का अर्थ होगा – झारखण्ड को–ऑपरेटिव फेडरेशन लि0 का अध्यक्ष।

(vii) <u>निदेशक पर्षद का अर्थ होगा – झारखण्ड को–ऑपरेटिव फेडरेशन का निदेशक पर्षद।</u>

(viii) आम सभा का अर्थ होगा – झारखण्ड को–ऑपरेटिव फेडरेशन लि0 की आम सभा।

(ix) जिला सहकारी संघ का अर्थ होगा – अधिनियम के अन्तर्गत निबंधित कोई जिला स्तरीय केन्द्रीय संघ।

(x) निबंधक का अर्थ होगा – ऐसा व्यक्ति जिसकी नियुक्ति झारखण्ड सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1935 के अन्तर्गत विहित निबंधक के कर्त्तव्यों के पालन करने के लिए की गई है।

(xi) प्रतिनिधि का अर्थ होगा – नियमावली के अनुसार प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित व्यक्ति।

(xii) प्राथमिक समिति का अर्थ होगा ऐसी समिति जो दूसरी समिति को सम्बद्ध नहीं करती है।

(xiii) सहकारी समितियाँ का अर्थ होगा – झारखण्ड सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1935 के तहत निबंधित सहकारी समितियाँ।

(xiv) प्रबंध निदेशक का अर्थ होगा फेडरेशन का मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिसमें निदेशक पर्षद के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के अन्तर्गत संघ के प्रबंधन से संबंधित सभी शक्तियाँ निहित हो।

(xv) आफिस बियरर (पद धारी) का अर्थ होगा अधिनियम, नियम एवं फेडरेशन के उप विधियों के अन्तर्गत निर्वाचित अथवा मनोनीत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव, कोषाध्यक्ष इत्यादि।

(xvi) सहकारी वर्ष का अर्थ होगा – 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च, तक समाप्त होने वाला वर्ष।

4. उद्धेश्य

फेडरेशन के निम्न उद्धेश्य होगें :–

(i) सहकारिता आन्दोलन का विकास करना एवं उसे जन–जन तक पहुँचाना तथा इसके लिए व्य प्रचार–प्रसार करना।

(ii) सहकारी क्षेत्र के विस्तार के लिए जनता को शिक्षा देना, उनका मार्गदर्शन करना तथा उनको आवश सहायता प्रदान करना।

(iii) सहकारिता के सिद्धांतों एवं विचारों के प्रसार हेतु व्याख्याता के रूप में कार्य करना।

(iv) सहकारी शिक्षण एवं प्रशिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करना तथा सहकारिता के सिद्धांतों और व्यवहारों लोकप्रिय बनाना।

(v) सहकारी शिक्षा के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना, प्रशिक्षण केन्द्रों, विद्यालयों, तकनीकी संस्थानों महाविद्यालयों की स्थापना करना उन्हें संचालित करना तथा सहकारिता के क्षेत्र में खोज और अनुसंध को प्रोत्साहित करना।

(vi) सहकारी संस्थाओं को योजना बनाने तथा उसे कार्यान्वित करने हेतु आवश्यक परामर्श प्रदान करना।

(vii) सहकारिता आन्दोलन के समन्वित विकास के लिए विभिन्न स्तर की सहकारी समितियाँ, सरकारी विभा गैर सरकारी संगठनों (NGO), स्वयं सहायता समूहों तथा सामाजिक संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापि करना।

(viii) सहकारिता से संबंधित विषयों पर साहित्य की रचना करना, उनके प्रकाशन की व्यवस्था करना त सहकारिता के सिद्धांतों एवं सहकारिता प्रक्षेत्र में संचालित सफल कार्यों के प्रचार–प्रसार के लि दृश्य–श्रव्य प्रचार साधनों का प्रबंध करना।

(ix) सहकारिता आन्दोलन के विकास के लिए स्वस्थ वातावरण तैयार करना तथा पत्र पत्रिकाओं, पुस्तक साहित्य एवं फिल्मों आदि के माध्यम से सहकारिता क्षेत्र में हुई उपलब्धियों का प्रचार–प्रसार करना।

(x) राज्य से लेकर ग्राम स्तर तक सूचना केन्द्रों तथा पुस्तकालयों का संचालन करना।

~~(xi) विभिन्न स्तरों पर सभाओं, सम्मेलनों, समारोहों, प्रदर्शनियों आदि का आयोजन करना।~~

(xii) सहकारी संस्थाओं की उन्नति में सहयोग देना तथा उनकी समस्याओं का समाधान करने में सहायत प्रदान करना।

(xiii) सहकारिता क्षेत्र के विकास के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों के लिए रोजगार विनियमन केन्द्र (Employmen Exchange) का कार्य करना।

(xiv) फेडरेशन के उद्धेश्यों को प्राप्त करने एवं आगे बढाने के लिए चल तथा अचल सम्पत्ति का क्रय करना उसपर स्वामित्व स्थापित करना तथा उन्हें लीज, किराये आदि पर देना अथवा उसकी बिक्री करना।

(xv) राज्य के विभिन्न प्रकार के सहकारी समितियों के उपयोग में आने वाली पंजियों, प्रपत्रों एवं अन्य सामग्रियों के अधिकृत आपूर्तिकर्त्ता के रूप में कार्य करना तथा उनके मुद्रण के लिए प्रेस की स्थापना करना तथा अन्य आवश्यक संशाधन जुटाना।

(xvi) संघ को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए संचालक मंडल की अनुमति से अन्य व्यावसायिक कार्यक्रम चलाना तथा सभी प्रकार की सहकारी समितियों के व्यावसायिक कार्यक्रम के लिए आवश्यक परामर्श प्रदान करना।

(xvii) राज्य के विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियों के लिए आधारभूत संरचना (Infrastructure) के निर्माण के लिए प्रोजेक्ट बनाना तथा उसके क्रियान्वयन के लिए अभियांत्रिक (Engineering) एवं अन्य तकनीकी सहायता प्रदान करना।

(xviii) विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियों के विकास के लिए आवश्यक परामर्शी (Advisory) सेवा प्रदान करना।

(xix) राज्य में कार्यरत सभी सहकारी बैंकों के कर्मियों के लिए प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाना तथा आवश्यक बैंकिंग सलाह प्रदान करना।

(xx) सहकारी समितियों के प्रशासनिक संगठन, योजना, प्रबंधन, कार्मिक प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, विपणन, प्रसंष्करण, लेखा, संघारण एवं बाजार सर्वेक्षण आदि के लिए आधुनिक प्रबंधन तकनीक से संबंधित आवश्यक सलाह/सेवा प्रदान करना। सहकारी समितियों की योजनाओं एवं प्रबंधन से संबंधित विशिष्ट समस्याओं (Specific Problems) के समाधान के लिए सर्वेक्षण करना, तथ्यों का विशलेषण करना तथा समाधान के संबंध में सुझाव देना।

(xxi) सहकारी समितियों के आधारभूत संरचना का निर्माण करने तथा आधारभूत संरचना के निर्माण तथा Maintenance से संबंधित प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन हेतु सलाह/सेवा प्रदान करने के लिए योग्यता प्राप्त इन्जीनियरों की सेवा अनुबंध/प्रतिनियुक्ति के माध्यम से प्राप्त करना।

(xxii) फेडरेशन के उद्धेश्यों को प्राप्त करने के लिए सभी प्रकार के कार्य करना।

5. (i) <u>कोष</u>

फेडरेशन के कोष का निर्माण निम्न मदों से प्राप्त राशि से होगा :–

(i) हिस्सा पूँजी।

(ii) सम्बद्धता शुल्क।

(iii) फेडरेशन लेवी।

(iv) दान।

(v) राज्य सरकार, स्वशासी संस्थाओं एवं अन्य श्रोतों से प्राप्त अनुदान।

(vi) सम्बद्ध समितियों से वार्षिक चन्दा।

(vii) उपविधि की धारा 4 के खण्ड VI, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, एवं XXI एवं XXII, से प्राप्त आय।

(ii) <u>हिस्सा पूँजी</u>

(क) फेडरेशन का अधिकृत हिस्सा पूँजी 50,000,00,00 (पचास करोड़) रूपये होगा, जो पाँच–पाँच हजार के एक लाख हिस्सों में विभाजित रहेगा।

(ख) किसी भी समिति को फेडरेशन की सम्बद्धता प्राप्त करने के लिए कम से कम एक हिस्सा का क्रय करना आवश्यक होगा।

(ग) राज्य सरकार को छोड़कर कोई भी सहकारी समिति फेडरेशन का 1/5 हिस्सा से अधिक का क्रय नहीं कर सकेगी।

6. <u>सदस्यता</u>

फेडरेशन के सदस्य होने के लिए निम्नलिखित योग्य होंगे :–

(i) राज्य में निबंधित सभी प्रकार की सहकारी समितियाँ।

(ii) राज्य सरकार।

7. सदस्यता की समाप्ति

फेडरेशन की सदस्यता निम्नलिखित कारणों से समाप्त हो जायेगी :–

(i) निष्कासित (Expel) होने पर।

(ii) असम्बद्ध (Dis-affiliate) होने पर।

(iii) भंग (Disolve) होने पर।

8. सम्बद्धता

फेडरेशन से सम्बद्धता सभी प्रकार की सहकारी समितियों के लिए खुला रहेगा। फेडरेशन के निदेशक पर्षद प्राथमिक समितियों की सम्बद्धता के लिए नियम बनाये जा सकेंगे।

9. सम्बद्धता शुल्क

फेडरेशन से सदस्यता प्राप्त करने के लिए सहकारी समितियों के लिए सम्बद्धता शुल्क की दर निम्नलिखित

क.	शीर्ष एवं राज्य स्तरीय सहकारी समितियाँ	–	10,000/–
ख.	केन्द्रीय सहकारी समितियाँ	–	5,000/–
ग.	प्राथमिक सहकारी समितियाँ	–	1,000/–

10. सम्बद्धता का प्रमाण पत्र

(i) फेडरेशन द्वारा सभी सम्बद्ध समितियों को फेडरेशन की मुहर के साथ सम्बद्धता एवं हिस्सा का प्रमाण अनिवार्य रूप से निर्गत किया जाएगा। प्रमाण पत्र के फट जाने या खो जाने पर 500/– (पाँच सौ) फेडरेशन के खाते जमा कर डुपलीकेट प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है।

(ii) फेडरेशन से सम्बद्ध नहीं रहने पर समिति उन सभी सुविधाओं से वंचित हो जाएगी, जिसकी वह अपने उप के अनुसार हकदार है।

11. सम्बद्ध समितियों की देनदारी

(i) फेडरेशन के ऋण के लिए सम्बद्ध सहकारी समितियों की देनदारी उसकी अपने हिस्से मुल्य के दस गुने तक सीमित रहेगा और यह झारखण्ड सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1935 (1935 की एक्ट VI) की धारा 3 अनुसार लागु होगी।

(ii) राज्य की सभी सम्बद्ध समितियों को अंकेक्षित शुद्ध लाभ का ढ़ाई प्रतिशत की दर से प्रति वर्ष फेडरेशन (कन्ट्रीब्युशन) देना अनिवार्य होगा।

(iii) निदेशक पर्षद द्वारा सम्बद्ध समितियों पर वार्षिक शुल्क निर्धारित किया जा सकता है, जिसकी दर निदे पर्षद राज्य सरकार की स्वीकृति से तय करेगा।

(iv) निदेशक पर्षद किसी सम्बद्ध समिति की कार्यशील पूँजी पर लेवी लगा सकता है, जिसकी दर निदेशक प द्वारा राज्य सरकार की स्वीकृति से तय की जायेगी।

(v) प्रत्येक सम्बद्ध समिति फेडरेशन के हर प्रकार के अपने बकाये को चुकता करने के लिए बाध्य हो। फेडरे से जो सम्बद्ध राज्य स्तरीय अथवा केन्द्रीय सहकारी समितियाँ है वे अपने से सम्बद्ध समितियों से फेडरेशन बकाये का अंश या पूरा बकाया निदेशक पर्षद की स्वीकृति लेकर वसूल कर सकती है।

12. आम सभा

सहकारिता अधिनियम, नियमावली एवं उपविधियों के अन्तर्गत रहते हुए फेडरेशन का सर्वोच्च अधिकार आम में निहित होगा। फेडरेशन के सभी कार्यकलापों पर आम सभा का नियंत्रण रहेगा।

13. आम सभा का गठन, आम सभा में सम्बद्ध समितियों का प्रतिनिधित्व निम्न प्रकार होगा

(i) प्रत्येक शीर्ष एवं राज्यस्तरीय समिति की ओर से एक प्रतिनिधि।

(ii) प्रत्येक जिला सहकारी संघ की ओर से एक प्रतिनिधि।

(iii) जिला स्तरीय केंन्द्रीय सहकारी बैंक की ओर से एक प्रतिनिधि।

(iv) लैम्पसों एवं पैक्सों में प्रत्येक पाँच लैम्पसों पर एक एवं प्रत्येक दस पैक्सों पर एक प्रतिनिधि। यदि लैम्पसों में हुए अंश तीन या तीन से अधिक हों तो एक अतिरिक्त सदस्य तथा पैक्सों में पाँच से अधिक हो तो अतिरिक्त सदस्य।

(v) प्रत्येक केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भंडार से एक तथा प्रत्येक पाँच व्यापार मंडल से एक सदस्य। व्यापार मं में यदि बचे हुए अंश तीन या तीन से अधिक हो तो एक अतिरिक्त सदस्य।

(vi) अन्य प्रकार की प्राथमिक सहकारी समितियों मे से प्रत्येक 20 समितियों पर एक प्रतिनिधि। यदि बचे हुए अंश से ज्यादा हो तो एक अतिरिक्त प्रतिनिधि।

(vii) ऊपर वर्णित कंडिका IV, V एवं VI एवं VII के प्रतिनिधियों का निर्वाचन जिला स्तर पर सम्पन्न होगी।

14. प्रतिनिधि

(क) कोई भी व्यक्ति तब तक आम सभा के प्रतिनिधि नहीं चुने जाएंगे जब तक की वे उस समिति के सदस्य न जो उन्हें चुन रही हो या वे उन समितियों में से किसी के सदस्य न हों जिनकी ओर से वे चुने जा रहे हों।

(ख) एक प्रतिनिधि को एक ही मत देने का अधिकार होगा। प्रति पुरूष (प्रोक्सी) द्वारा मत देना वर्जित होगा।

15. अध्यक्ष

आम सभा की अध्यक्षता फेडरेशन के अध्यक्ष करेंगे। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सम्बंधित सभा में उपस्थि प्रतिनिधियों द्वारा उस सभा के लिए अध्यक्ष का चुनाव किया जायेगा।

16. आम सभा तीन प्रकार की होगी

(क) साधारण (ख) असाधारण (ग) विशेष आम सभा।

(क) साधारण आम सभा

साधारण (वार्षिक) आम सभा प्रत्येक सहकारी वर्ष समाप्त होने के छः महीने के भीतर होगी। सभा गत वर्ष का अंकेक्षण प्रतिवेदन/आर्थिक चिटठा पर अवश्य विचार किया जाएगा।

(ख) असाधारण आम सभा

निदेशक पर्षद के द्वारा किसी भी समय या फेडरेशन के कुल सदस्यों के कम से कम 1/3 हिस्से की लिखित मांग पर एक महीने के अंदर बुलायी जा सकती है।

(ग) विशेष आम सभा

निबंधक, सहयोग समितियाँ, अथवा उनके द्वारा अधिकृत पदाधिकारी के लिखित आग्रह पर उस स्थान पर और उस समय बुलायी जा सकती है। जिसका अनुरोध पत्र में विशेष रूप से वर्णन रहेगा। निबंधक, अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति के आदेश प्राप्ति के 21 दिनों के अंदर फेडरेशन के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (प्रबंध निदेशक) विशेष आम सभा बुलाने को बाध्य हों। यदि प्रबंध निदेशक, द्वारा आम सभा नहीं बुलाई जाती हैं तो निबंधक, अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा कम से कम 21 दिनों की सूचना देकर विशेष आम सभा बुलायी जा सकती है। ऐसी विशेष आम सभा को फेडरेशन की उपविधि के अन्तर्गत वर्णित आम सभा के सभी अधिकारी प्राप्त होंगे।

झारखण्ड सहकारी समितियाँ नियमावली, 1959 के नियम 21 बी० के अन्तर्गत संचालन पदाधिकारी को फेडरेशन के निदेशक पर्षद के चुनाव हेतु फेडरेशन की विशेष आम सभा बुलाने एवं उसके लिए समय एवं स्थान का निर्धारण करने का अधिकार होगा।

17. आम सभा की सूचना

सभी प्रतिनिधियों को आम सभा के कार्यक्रम की सूचना निबंधित डाक/कुरियर के माध्यम से कम से कम 15 दिन पूर्व दी जायेगी। कोई भी प्रतिनिधि किसी भी विषय को आम सभा के विचारार्थ आम सभा के लिए निर्धारित तिथि के एक सप्ताह पूर्व फेडरेशन के पास भेज सकता है। ऐसे प्रस्ताव पर कम से कम 6 प्रतिनिधि की सहमति आवश्यक होगी।

18. आम सभा का कोरम

(क) फेडरेशन की आम सभा का कोरम कुल प्रतिनिधियों का 1/5 (पंचमांश) होगा। यदि आम सभा में निर्धारित समय के एक घंटे के अन्दर कोरम पुरा नहीं होता है तो आम सभा स्थगित कर दी जायेगी। निदेशक पर्षद द्वारा स्थगित आम सभा की बैठक के लिए स्थान एवं तिथि निर्धारित की जायेगी परन्तु वह समय सात दिनों से कम तथा 21 दिनों से अधिक का नहीं होगा। स्थगित आम सभा में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी तथा कोई भी प्रस्ताव उपस्थित प्रतिनिधियों के 3/4 बहुमत से पारित होगा।

(ख) आम सभा में जो भी विषय विचारार्थ उपस्थित किए जायेंगे, उनपर बहुमत से निर्णय लिया जायेगा। यदि किसी विषय पर बराबर मत प्राप्त होता है, तो आम सभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा।

19. आम सभा के कर्त्तव्य

(i) आम सभा के लिए अध्यक्ष का निर्वाचन करना।

(ii) फेडरेशन के निदेशक परिषद का निर्वाचन करना।

(iii) फेडरेशन के निदेशक परिषद द्वारा प्रस्तुत किये गये गत वर्ष के कार्यों पर विचार करना।

(iv) गत वर्ष के फेडरेशन के अंकेक्षित आय–व्यय , व्यपार खाता, लाभ–हानि, खाता तथा आर्थिक चिट्ठा तथा अंकेक्षण प्रतिवेदन पर विचार करना।

(v) अगामी वर्ष की कार्य योजना तथा बजट पर विचार करना।

(vi) अगामी वर्ष के लिए कर्ज की सीमा निर्धारित करना।

(vii) जिला सहकारी संघो के प्रशिक्षण आदि कार्यक्रम संचालित करने के लिए सहायता राशि का निर्धारण करना।

(viii) प्रतिनिधियों द्वारा समर्पित विषयों पर विचार करना।

(ix) फेडरेशन की उपविधि के आलोक में उपस्थित किये गये सभी विषयों पर विचार करना।

(x) फेडरेशन के अध्यक्ष एवं निदेशक परिषद के सदस्यों का मानदेय, यात्रा भत्ता तथा अन्य सुविधाओं का निबंधक, सहयोग समितियाँ की सहमति प्राप्त कर निर्धारण करना।

(xi) झारखण्ड के सहकारिता आन्दोलन को सुदृढ़ करने तथा उसे विकसित करने के लिए सभी मामलों पर विचार–विमर्श करना, निर्णय लेना तथा सुझाव देना।

(xii) फेडरेशन के कार्यों में विशेषज्ञों एवं तकनीशियनों तथा विशिष्ट सलाहकारों को सेवा प्राप्त करने के लिए निदेशक पर्षद् की सलाह पर विभिन्न समितियों/कोषांगों का गठन करना।

(xiii) सम्बद्ध सहकारी समितियों के विकास तथा उनके Infrastructure के निर्माण, प्रशिक्षण, प्रबंधन आदि से संबंधित योजनाओं को तैयार करना।

(xiv) आम सभा की स्वीकृति से अन्यान्य कार्य करना।

20. <u>आम सभा की कार्यवाही</u>

आम सभा में विचारार्थ उपस्थित विषयों पर हुई चर्चा तथा लिए गए सभी निर्णयों से संबंधित कार्यवाही के लिए फेडरेशन में एक कार्यवाही पुस्तिका का संधारण किया जायेगा जो प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के अभिरक्षण में रहेगा।

21. <u>निदेशक पर्षद</u>

फेडरेशन का सम्पूर्ण प्रबंधन नियम एवं उपविधि के अन्तर्गत गठित निदेशक परिषद में निहित होगा। निदेशक परिषद में अध्यक्ष सहित 23 (तेईस) सदस्य होंगे, जिसका ~~निर्वाचन/मनोनयन निम्न प्रकार किया जायेगा :–~~

(i) अध्यक्ष सहित 13 (तेरह) सदस्यों का निर्वाचन फेडरेशन के निर्वाचित प्रतिनिधियों में से किया जायेगा, अध्यक्ष को छोड़कर निम्न कोटि की सहकारी संघों/समितियों के लिए निदेशक का एक–एक पद आरक्षित रहेगा :–

1	राज्य स्तरीय एवं शीर्ष सहकारी संघ	–	1
2.	जिला सहकारी संघ	–	1
3.	जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक	–	1
4.	लैम्पस	–	1
5.	पैक्स	–	1
6.	व्यापार मंडल	–	1
7.	केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भंडार	–	1
8.	महिला सहकारी समिति	–	1
9.	प्राथमिक अनुसूचित जनजाति की समिति	–	1
10.	प्राथमिक अनुसूचित जाति की समिति	–	1
11.	अन्य विशेष प्रकार की प्राथमिक सहकारी समिति	–	2

(ii) अगर किसी कारणवश अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला सहकारी समिति से कोई सदस्य नहीं चुना जाता है तो निदेशक परिषद् द्वारा संबंधित कोटि के प्राथमिक सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों में से सहयोजन (Co-option) द्वारा उनके रिक्त पदों को भरा जाएगा।

(iii) सहकारिता विभाग द्वारा प्रशासनिक, अभियांत्रिक, प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, बैंकिंग, विपणन, प्रसंस्करण, कृषि बागवानी आदि क्षेत्र से 9 (नौ) विशेषज्ञ सदस्यों का मनोनयन किया जायेगा।

(iv) फेडरेशन के प्रबंध निदेशक, निदेशक परिषद के पदेन सदस्य सचिव होंगे।

(v) फेडरेशन का प्रथम निदेशक परिषद का मनोनयन अधिकतम 1 (एक) वर्ष के लिए सहकारिता विभाग द्वारा किया जायेगा।

22. निदेशक परिषद् की बैठक

निदेशक परिषद की बैठक प्रत्येक तीन माह पर कम से कम एक बार अवश्य आयोजित की जायेगी। निदेशक परिषद् की सभी बैठकों की अध्यक्षता फेडरेशन के अध्यक्ष करेंगे। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों में से ही किसी को उस बैठक के लिए अध्यक्ष निर्वाचित किया जायेगा, जो उस बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

23. कोरम

निदेशक परिषद की बैठक के लिए आवश्यक कोरम हेतु निदेशकों की कुल संख्या 12 होगा। निश्चित समय के एक घंटे के अन्दर यदि कोरम पूर्ण न होने की स्थिति में बैठक स्थगित कर दी जायेगी तथा स्थगित बैठक के लिए समय, स्थान एवं तिथि पुनः निर्धारित की जायेगी, जो पूर्व निर्धारित बैठक के सात दिनों से कम तथा 21 दिनों से अधिक नहीं होगी। स्थगित बैठक के लिए कोरम की आवश्यकता नहीं होगी।

24. रिक्त स्थानों की पूर्त्ति

यदि अध्यक्ष या निदेशक परिषद के किसी सदस्य का स्थान, समय पूरा होने के पहले रिक्त हो जाय तो उस रिक्त स्थान पर निदेशक परिषद द्वारा आम सभा के प्रतिनिधियों में से किसी प्रतिनिधि का मनोनयन किया जा सकता है परन्तु मनोनीत अध्यक्ष या सदस्य का कार्यकाल निदेशक परिषद के कार्यकाल तक ही सीमित रहेगा।

25. निदेशक परिषद के कर्त्तव्य एवं अधिकार

सहकारिता अधिनियम, नियमों, उपविधियों तथा आम सभा द्वारा पारित प्रस्तावों के अन्तर्गत निदेशक परिषद के कर्तव्य एवं अधिकार निम्नलिखित होंगे :–

(i) आम सभा आमंत्रित करने हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई करना।

(ii) फेडरेशन की आय व्यय एवं आर्थिक चिट्ठा की समीक्षा करना तथा फेडरेशन की वार्षिक आम सभा में उन्हें प्रस्तुत करना।

(iii) अगामी वर्ष के लिए कार्यक्रमों एवं आयोजनों का निर्धारण करना।

(iv) फेडरेशन के कार्य संचालन के लिए कोष एकत्रित करना तथा सदस्य समितियों पर चन्दा लगाना।

(v) अगामी वर्ष के लिए बजट तैयार करना।

(vi) राज्य सरकार की सहमति से फेडरेशन के कर्मियों की सेवा शर्तों तथा यात्रा भत्ता दर आदि का निर्धारण करना तथा समय–समय पर उसमें संशोधन करना।

(vii) फेडरेशन के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए उप समितियों/कोषांगों का गठन करना।

(viii) सहकारी समितियों द्वारा सम्बद्धता के लिए समर्पित आवेदन पर विचार करना।

(ix) ऋण लेने की स्वीकृति प्रदान करना, फेडरेशन की देनदारी निर्धारित करना तथा फेडरेशन की सम्पत्ति का क्रय–विक्रय करना।

(x) वार्षिक वैधानिक अंकेक्षण प्रतिवेदन पर विचार करना तथा उसमें उल्लेखित त्रुटियों का निराकरण करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करना।

(xi) अधिनियम, नियमों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में फेडरेशन के वैतनिक कर्मियों को नियुक्त करने, मुअत्तल करने, कार्य मुक्त करने, बर्खास्त करने अन्यथा उनके विरूद्ध आवश्यक अनुशासनिक कार्रवाई करने के लिए प्रबंध निदेशक द्वारा विचार के लिए लाये गये प्रस्तावों की समीक्षा करना तथा निर्णय लेना।

(xii) सहकारिता आन्दोलन के विकास तथा सम्बद्ध सहकारी समितियों की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अभियंताओं, तकनीकी विशेषज्ञों तथा विशिष्ट सलाहकारों की सेवायें प्राप्त करना तथा सहकारी समितियों की योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में आवश्यक परामर्शी सेवाएँ प्रदान करना।

(xiii) आम सभा के निर्णयों के अन्तर्गत फेडरेशन की उपविधियों के अन्तर्गत प्रदत्त अन्य कार्यों को सम्पादित करना।

(xiv) फेडरेशन के उद्धेश्यों की पूर्ति के लिए उपविधि के अन्तर्गत नियम तैयार करना।

26. <u>उप समितियों/कोषांगों का गठन</u>

सम्बद्ध सहकारी समितियों के विकास एवं उनके लिए संचालित विभिन्न कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए विशिष्ट सेवा एवं सलाह प्रदान करने के लिए तथा सहकारिता प्रक्षेत्र के प्रबंधन से संबंधित व्यक्तियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के लिए आम सभा की सहमति से निदेशक परिषद द्वारा निम्न उप समितियों/कोषांगों का गठन किया जायेगा :–

(i) <u>अभियांत्रिक कोषांग</u> : सहकारिता प्रक्षेत्र की सभी सम्बद्ध सहकारी समितियों के लिए कार्यालय, गोदाम, शेड, कोल्ड स्टोरेज, कूलरूम, प्रसंस्करण इकाई एवं सहकारिता विकास से संबंधित अन्य प्रकार की आधारभूत संरचना आदि के निर्माण करने तथा संबंधित कार्यों के लिए परामर्शी सेवाएँ (Consultancy) प्रदान करने के लिए निदेशक परिषद द्वारा एक अभियांत्रिक कोषांग का गठन किया जाएगा। अभियांत्रिक कोषांग में मुख्य अभियंता, कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता तथा कनीय अभियंता स्तर के पदाधिकारी अनुबंध/प्रतिनियुक्ति के आधार पर पदस्थापित होंगे, जिनकी संख्या का निर्धारण निदेशक पर्षद द्वारा किया जाएगा। अभियांत्रिक कोषांग द्वारा सभी प्रकार की अभियांत्रिक सेवा निदेशक पर्षद द्वारा निर्धारित शुल्क पर अन्य संस्थाओं को भी दिया जा सकेगा।

(ii) <u>सूचना, प्रशिक्षण एवं प्रचार–प्रसार कोषांग</u> : सम्बद्ध सहकारी समितियों के पदधारियों तथा कर्मियों तथा सहकारिता विभाग के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशासनिक प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, लेखा, कम्प्यूटर आदि के प्रक्षेत्रों में आधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण देने तथा सहकारिता के सिद्धान्तों एवं सहकारी प्रक्षेत्र में किए जा रहे विशिष्ट कार्यों के वृहद् प्रचार एवं प्रसार के लिए फेडरेशन के अधीन एक सूचना प्रशिक्षण एवं प्रचार–प्रसार कोषांग का गठन किया जाएगा। प्रशिक्षण कोषांग द्वारा प्रशिक्षण सत्र के आयोजन, प्रशिक्षण से संबंधित सामग्रियाँ तैयार करना, मानव संसाधन के रूप में विशेषज्ञों का पैनल बनाना तथा राज्य के बाहर की संस्थाओं में प्रशिक्षण